न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 56/2025

GCMS No. : 2025/267

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		मनोज मोटवानी पुत्र श्री रामचन्द्र मोटवानी, मैसर्स कंचन गृह उद्योग 289 स्वाामी दयानन्द नगर पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 18/11/2025

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/ 440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वाास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/खा.सु/एवं औ.नि./संस्था/2025/101 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 25.04.2025 दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स कंचन गृह उद्योग 289 स्वाामी दयानन्द नगर पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम मनोज मोटवानी पुत्र रामचन्द्र मोटवानी बताया एवं स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। वक्त निरीक्षण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी की फर्म में आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) के 100 पैकेट रखे हुए थे। प्रत्येक पैकेट में 20 पाउच पीस प्रत्येक में 50 एमएल था जो आमजन को बेचने हेतु रखा गया था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में प्रार्थी के साथ आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 4 पैक पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 80/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) कों नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2530 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) का नमुना संख्यां आर–2530 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/533/एक्ट/2025/533 दिनांक 14.05.2025 के अनुसार Sub-Standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत उक्त प्रकरण श्रीमान के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) अवमानक की श्रैणी में पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवमानक Sub-Standard आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) को आमजन को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी ने अपने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया अप्रार्थी द्वारा आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) का उत्पादन करते हुए खाद्य सुरक्षा मानको को ध्यान में रखते हुए किया जाता है एवं भविष्य में उक्त फर्म द्वारा खाद्य मानकों अनुरूप उत्पान किया जायेगा। अतः अप्रार्थी के प्रति नम्ररूख अपनाते हुए अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें।

हमने अप्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.4.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स कंचन गृह उद्योग 289 स्वाामी दयानन्द नगर पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली से लिया गया आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2530 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) का नमुना कोड संख्या आर–2530 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) का नमूना अवमानक स्तर (Sub-standards) का पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) आईसलोली (श्रीखण्ड पिन्टुजी) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/– रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद 0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली